



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1801]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2016/आषाढ़ 27, 1938

No. 1801]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2016

का.आ. 2449(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ सत्ताईसवां संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) "7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उप-शीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"7. संचार मंत्रालय

(i) दूरसंचार विभाग

(ii) डाक विभाग";

(ख) "10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"10क. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय";

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्,-

"संचार मंत्रालय";

(ii) "संचार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" उप-शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(iii) "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलेक्ट्रानिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले) ।
2. इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन ।
3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता ।
4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन ।
5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन ।
6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर ।
7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एज्युकेशन इन इनफोर्मेशन सोसाइटी (आईबीआई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑनलाइन (आईसीसी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक क्रिया ।
8. डिजिटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल: मीडिया लैब एशिया संबंधी मामले ।
9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य ।
10. इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) ।
11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ।
12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय ।

13. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले ।
14. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)।"।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं.1/21/16/2016-मंत्रि.]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2016

S.O. 2449(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Seventh Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
 - (1) in THE FIRST SCHEDULE,-
 - (a) for the heading “7.Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)” and sub-headings thereto, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-
 - “7. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)
 - (i) Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)
 - (ii) Department of Posts (Dak Vibhag);
 - (b) after the heading “10. Ministry of Earth Sciences (Prithvi Vigyan Mantralaya)”, the following heading shall be inserted, namely:-
 - “10A. Ministry of Electronics and Information Technology (Electroniki aur Soochana Praudyogiki Mantralaya);”
 - (2) in THE SECOND SCHEDULE,-
 - (i) for the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)” the following heading shall be substituted, namely,-
 - “MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA);”
 - (ii) under the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)” the sub-heading “DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)” and entries thereunder shall be omitted;
 - (iii) after the heading “MINISTRY OF EARTH SCIENCES (PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA)” and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely,-
 - “MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)
 1. Policy matters relating to information technology; Electronics; and Internet (all matters other than licensing of Internet Service Provider).

2. Promotion of internet, IT and IT enabled services.
3. Assistance to other departments in the promotion of E-Governance, E- Commerce, E- Medicine, E- Infrastructure, etc.
4. Promotion of Information Technology education and Information Technology-based education.
5. Matters relating to Cyber Laws, administration of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and other IT related laws.
6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country excluding all matters relating to Semiconductor Complex Limited (SCL), Mohali.
7. Interaction in IT related matters with international agencies and bodies e. g. Internet for Business Limited (IFB), Institute for Education in Information Society (IBI) and International Code Council – on line (ICC).
8. Initiative on bridging the Digital Divide: Matters relating to Media Lab Asia.
9. Promotion of Standardization, Testing and Quality in IT and standardization of procedure for IT application and Tasks.
10. Electronics Export and Computer Software Promotion Council (ESC).
11. National Informatics Centre (NIC).
12. Initiatives for development of Hardware/Software industry including knowledge-based enterprises, measures for promoting IT exports and competitiveness of the industry.
13. All matters relating to personnel under the control of the Ministry.
14. Unique Identification Authority of India (UIDAI).”.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/16/2016-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.